विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

मानवाधिक शिक्षा के लिए ग्यारहवीं योजना का दिशानिर्देश

1. प्रस्तावनाः

1985 में यूजसी ने शिक्षा के हरेक स्तर पर शिक्षण और शोध के लिए दिशानिर्देश तैयार किए था । मानवाधिकार के क्षेत्र में पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करने, बुनियादी पाठ्यक्रम की शुरूआत करने और नए पाठ्यक्रम के रूप में नई पहल करने के लिए गंभीर रूप से प्रयास किए गए थे। 1990 के दशक में इस पहल को काफी प्रोत्साहन मिला। इस प्रयास के हिस्से के रूप में कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगे आए । 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मानवाधिकार शिक्षा (एचआरई) में मूल्यों और कत्तव्यों जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल किए जाने से इस क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन आया । ग्यारहवीं योजना में यूजीसी मानवाधिकार शिक्षा के लिए नवीन प्रयास करेगा ।

वैश्वीकरण के दौर में बदलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मानवाधिकार शिक्षा का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। इससे एक ओर मानव की सृजनात्मक क्षमताओं के साकार होने की नई संभावनाएं बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद सहित हिंसा के रूप में नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह समस्या इतनी जटिल और गंभीर हो गई है कि इससे निपटना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस नई परिस्थिति में सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग किए जाने की घटनाएं बढ़ सकती है जिसके फलस्वरूप यह तय कर पाना कठिन होगा कि सही क्या है और गलत क्या । समाज में पर्याप्त लोकतात्रिक शक्ति निहित होनी चाहिए जहां लोग विशेषकर युवक इन नई चुनौतियों का सामना करने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगें । यह तभी संभव हो सकेगा जब लोग, विशेषरूप से युवा वर्ग जीवन के हरेक क्षेत्र में संवेदनशील और मानवीय मूल्यों का सम्मान करने वाले बनेंगें ताकि वे किसी समस्या का नहीं बल्कि उसके निदान का हिस्सा बन सके । मानवाधिकार शिक्षा उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नैतिक, बौद्धिक और लोकतांत्रिक संसाधन सृजित कर सकता है। अतः मानवीय, सभी की भागीदारी पर आधारित लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने के इस समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ–साथ इसे बनाए रखा जाना चाहिए ।

मानवाधिकार शिक्षा के तीन आयाम हैं : नैतिक, विधिक और प्रासंगिक। मानव समुदाय की नैतिक बुनियाद उसकी संवेदनशीलता में निहित होती है जो लोगों को हमेशा याद दिलाती रहती है कि यह दुनिया आज जैसी है उससे भी बेहतर बनाई जा सकती है। 1948 में मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा की शुरूआत से यू.एन. जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा मानक निर्धारण के किए गए कार्य मानवाधिकार शिक्षा के नैतिक आयामों का पता लगाने की एक कोशिश रही है। 1948 के बाद

कोई भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है जिसमें यूएन ने नया मानक नहीं अपनाया हो । आज घोषणापत्रों, अभिसमयों, प्रतिज्ञापत्रों और संधियों के रूप में मानवाधिकार संबंधी लगभग सैंकड़ों दस्तावेज है। पूरी दुनिया के लोगों को ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वे मानवाधिकार के बढ़ते क्षेत्र और घटक तथा मनुष्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे व्यापक बनाने में इनकी प्रासंगितकता को समझ सके ।

मानवाधिकार की शिक्षा का दूसरा आयाम देश के संविधान और विधिक तंत्र द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है। निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए है। इनका प्रभावशाली प्रवर्त्तन तभी हो सकता है जब विधि ही सर्वोच्च हो । यह आवश्यक है कि ''विधि के शासन'' की संस्कृति को पर्याप्त रूप से संस्थागत रूप दिया जाए । विधि का शासन ही ऐसा उद्देश्यपरक मानक है जिसमें सामाजिक जटिलाओं और सत्ता के संतुलन को कमजोर लोगों के पक्ष में करने की शक्ति निहित है। कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को यह मानक बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा । मानवाधिकार शिक्षा को कानून प्रवर्तन से जुड़ कार्मिको को अधिक से अधिक संख्या में इस प्रयास की ओर आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जहां वे जीवनभर कुछ न कुछ सीखते रहेः–

(1) सशत्रबल, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान और अन्य एजेन्सियों ने अपने–अपने पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा की शुरूआत की है। यह एक स्वागतयोग्य परिवर्तन है और इसे पूरी सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अधिकार शिक्षा के रूप में विधिक साक्षरता आम लोगों के लिए अनिवार्य हो गई है। यह शिक्षा अनुसूचित जाति, अ.जन.जाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे वंचितवर्गों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए और भी अधिक आवश्यक हो. गई है। इससे उपक्षित मानवजाति के आत्मसम्मान और मर्यादा को बढ़ाने में मदद मिलेगी । मानवाधिकार शिक्षा में इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि दुनियाभर की सरकारे इन नयी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं तथा एक ऐसे माध्यम की रूपरेखा किस प्रकार तैयार करती है जिससे आम लोग अपने क्रोध और हताशा को व्यक्त कर सकें । लेकिन यह अभिव्यक्ति निश्चित रूप से हिंसक घटनाओं के रूप में नही होनी चाहिए । एक सृजनात्मक समाज हमेशा समाज के सकारात्मक विकास के लिए मनुष्य की क्षमता का सदुपयोग करने के अर्थोपाय ढुंढ़ेगा ।

मानवाधिकार अपने आप में ही साधन और साध्य दोनों है। प्राप्त किए जानेवाले मानक के परिप्रेक्ष्य में ये साध्य हैं और ये साधन इसलिए है कि ये मनुष्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं । यह शैक्षणिक जांच की विषयवस्तु होने के साथ–साथ समाज का सदस्य होने के नाते मनुष्य के दैनदिन अनुभवों का हिस्सा भी है।

2. उद्देश्य

ग्यारहवीं योजना में मानवाधिकार शिक्षा योजना के तीन संघट हैंः–

(क) मानवाधिकार और कर्त्तव्य
(ख) मानवाधिकार और नैतिक मूल्य
(ग) मानवाधिकार और मानव विकास

2.1 मानवाधिकार और कर्त्तव्य

यद्यपि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा होता है। कतिपय क्षेत्रों में ऐसा अनुभव किया गया है कि अधिकार संबंधी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और कर्त्तव्यों से जुड़े सवालों की ओर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे समाज में जहां सदियों से कर्त्तव्यों पर बल दिया गया है, अधिकार संबंधी शिक्षा ऐतिहासिक भूलों के सुधार के रूप में आयी है। अधिकारों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति को तभी ठीक किया जा सकता है जब संभ्रात वर्ग के लोगों को उपेक्षित वर्ग के लोगों के प्रति उनके कर्त्तव्यों की याद दिलाई जाए और उपेक्षित वर्ग के लोगों को अधिकार संबंधी शिक्षा के माध्यम से धीरे–धीरे अधिकार संपन्न बनाया जाए । मानवाधिकार शिक्षा इन स्तरों पर लैंगिक समानता, जाति और समुदाय संबंद्ध, बहुसंख्यक–अल्पसंख्यक संघर्ष ''अगड़ी–पिछड़ी'' दुविधा और उत्तर–दक्षिण संपर्क जैसे क्षेत्रों तक व्याप्त होंगी । संक्षेप में, अधिकारों और कर्त्तव्यों के पुनर्संतुलन के माध्यम से सभी शक्ति संबंधों को मानवोन्मुखी और लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए ।

2.2 मानवाधिकार और नैतिक मूल्य

मानवाधिकार शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगाः–

(क) इसका एक उद्देश्य नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता पैदा करना भी है जहां व्यक्तिगत स्वहित और सामूहित तथा आम हित के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाता है।

(ख) सांस्कृतिक रूप से निर्धारित सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और सापेक्षिक नैतिक मूल्यों पर वाद–विवाद होना चाहिए। वैश्विक किंतु खंडित दुनिया में सार्वभौम नैतिक मूल्यों की खोज का महत्व और भी बढ़ गया है।

(ग) अनेकत्व, सभी धर्मों के लिए सम्मान, वैज्ञानिक सोच, मुक्त विचार, लोक तर्क जैसे नैतिक मूल्य, जो सुदीर्घ भारतीय परंपराओं का हिस्सा रहे हैं, को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ अनुरक्षित रखना होगा ।

2.3 मानवाधिकार और मानव विकास

अधिकार कोई मानक ही नहीं बल्कि समाज के संसाधनों के आवंटन पर नागरिकों का दावा भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से हो रहा है लेकिन उसके साथ–साथ आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है । यह आवश्यक है कि विकास की आवश्यकताएं और समानता संबंधी चिंताओं को दूर करने के प्रयास पर एक साथ ध्यान दिया जाना चाहिए । किसी भी भौतिक विकास से मनुष्य को खुशी नहीं मिल सकती है जब तक कि मानव जीवन को महत्व नहीं दिया जाता है तथा मानव क्षमता के पूर्ण विकसित होने की स्थिति प्रदान नहीं की जाती है । मानव समुदाय विकास का साध्य भी है और साधन भी । अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उसका प्रवर्त्तन करना सरकार का दायित्व होता है और उसे विकास के प्रति अधिकारोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । इसमे कोई संदेह नहीं कि इन दायित्वों का निवर्तन

किए जाने से संतुलित मानव विकास होगा । मानवाधिकार शिक्षा में इन सभी संघटकों को शामिल किया जाएगा ।

3. मानवाधिकार शिक्षा के लिए दी जानेवाली सहायता की प्रकृतिः

वित्तीय सहायता के लिए मानवाधिकार शिक्षा के निम्नलिखित कार्यक्रमों की पहचान की गई हैंः–

(एक) बुनियादी पाठ्यक्रम
(दो) प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
(तीन) अंडर–ग्रैजुएट पाठ्यक्रम अर्थात़ बीए या बीए (प्रतिष्ठा)
(चार) पोस्ट–ग्रैजुएट पाठ्यक्रम
(पांच) पोस्ट–ग्रैजुएट डिग्री (एमए/एलएलएम) पाठ्यक्रम
(छह) इंटीग्रेटेड मास्टर्स कार्यक्रम
(सात) सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला
(आठ) म्यूट कोर्ट/मॉक ट्रायल
(नौ) उत्कृष्टता के लिए नोडल केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाना
(दस) पुस्तकों/पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना

3.1 मानवाधिकार में बुनियादी पाठ्यक्रम

बुनियादी पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानवाधिकार की परिकल्पना स्पष्ट रूप से बताना, मानवाधिकार मानदंडों और मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना तथा उन्हें समाज के कमजोर लोगों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ण समझ तथा अधिकारों की अनुभूति और प्रवर्त्तन को बढ़ावा दिया जाएगा । इस पाठ्यक्रम में सिविल सामाजिक संगठनों की जागरूकता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाले अधिकार आन्दोलनों को शामिल किया जाएगा । यह बुनियादी पाठ्यक्रम किसी भी विषय के अन्तर्स्नातक विद्यार्थियों के लिए होगा । चिकित्सा, अंभियांत्रिकी, प्रंबधन और बुनियादी विज्ञानों जैसे क्षेत्रों के पेशेवर समूहां के बीच मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएगें चार क्रेडिट वाले बुनियादी पाठ्यक्रम की अवधि तीन महीने से अधिक की नहीं होगी । इस प्रयोजन के लिए मानवाधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा संबंधी यूजीसी के पाठ्यक्रम का उपयोग एक मॉडल के रूप में किया जा सकता है।

3.2 मानवाधिकार में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम

(क) मानवाधिकार शिक्षा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम विद्यार्थियों और चिकित्सक, अभियंता, आईटी प्रोफेशनल्स, मजदूर संगठन, विद्यालय के शिक्षकों, एनजीओं, पत्रकारों और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों (प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों) को लक्षित है।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित प्रत्येक समूह की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से मानवाधिकार शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान प्रत्येक वर्ष कम से कम दो या तीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित कर सकते हैं ।

(ग) कोई भी मान्याप्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या पेशेवर संस्थान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र होगा । इस पाठ्यक्रम का आयोजन चिकित्सा, परिषद, बार कांउसिल, इंजीनियरिंग संस्थान तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे पेशेवर निकायों के साथ मिलकर भी किया जा सकता है।

3.3 मानवाधिकार शिक्षा में अंडर–ग्रैजुएट पाठ्यक्रम

मानवाधिकार शिक्षा की शुरूआत अंडर–ग्रैजुएट स्तर पर की जाएगी जो आगे डिग्री अर्थात बीए या बीए (प्रतिष्ठा) के रूप में फलीभूत होगा । यह तीन तरीके से किया जा सकता है। मानवाधिकार, अन्य ऐच्छिक विषयों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास के समतुल्य विषय के रूप में शुरू किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह कि मानवाधिकार सहायक विषय के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञान विषय के साथ अंडर ग्रैजुएट के लिए प्रमुख विषय हो सकता है। तीसरा तरीका यह कि सहायता के लिए अनन्य रूप से मानवाधिकार में प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार अंडर ग्रैजुएट मानवाधिकार डिग्री पाठ्यक्रम का उद्देश्य देश भर में सविज्ञ मानवाधिकार कार्मिक तैयार करना है। मानवाधिकार पाठ्यक्रम जैसे–जैसे पृथक विषय के रूप सशक्त होगा वैसे–वैसे समाज की बदलती जरूरतें परी होती रहेंगी। अंडरग्रैजुएट पाठ्यक्रम में ऐसे पत्र हो सकते है जैसा कि मानवाधिकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाए। यह पाठ्यक्रम एक एड–ऑन पाठ्यक्रम या एक अतिरिक्त पत्र के रूप में भी दिया जा सकता है।

3.4. मानवाधिकार शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(क) औपचारिक शिक्षा पद्धति

मानवाधिकार शिक्षा में पोस्ट–ग्रैजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को अंतविषयक प्रकृति का होना चाहिए । इस पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के किसी भी स्नातकोत्तर विभाग अर्थात राजनीतिक शास्त्र/विधि/समाजशास्त्र या किसी दूसरे विभाग में, जिसे आवेदक विश्वविद्यालय द्वारा नोडल विभाग के रूप में चिह्नित किया जाए, शुरू किया जा सकता है । नोडल विभाग के पास पर्याप्त शिक्षण संकाय होने चाहिए ।

पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उपर्युक्त पैरा 3.2 में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए नोट किए गए लक्षित समूहों के सभी सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके पास बुनियादी स्नातक की डिग्री हो। इसके अतिरिक्त यह पाठ्यक्रम न्यायाधीशों, वकीलों, सविल, सर्वेट्स, राजनेताओं, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों की और अंततः कम से कम से कम पुलिस, अर्द्ध–सैनिकबलों और सैन्य

कर्मियों को पढ़ाया जा सकता है। उनमें से जो लोग पोस्टग्रैजुएट डिप्लोमा कोर्स करने के इच्छुक हैं, उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम प्रायोजित करने हेतु प्रोत्साहन और सहायता दी जानी चाहिए ।

(ख) दूरशिक्षा पद्धति

मानवाधिकार शिक्षा में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा दूर शिक्षा के माध्यम से भी कराया जाना चाहिए । इससे नियमित औपचारिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से मानवाधिकार शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम व्यक्तियों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा। इस समय कुछ विश्वविद्यालयो में इस पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है । सशस्त्र बलों और विधि प्रवर्त्तनकारी अन्य ऐजेंसियों सहित विभिन्न लक्षित समूहों के बीच ये पाठ्यक्रम बहुत लोकप्रिय है। जब दूर शिक्षा परिषद ऐसे कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी नहीं उठाता है, जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता रहेगा ।

3.5 मानवाधिकार शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमए/एलएलएम)

मानवाधिकार में एलएलएम डिग्री पाठ्यक्रम विधि महाविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा कराया जा सकता है। अन्य विषयों के पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मानवाधिकार में एम ए डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन किया जा सकता है। मानवाधिकार के एलएलएम पाठ्यक्रम में विधि और विधि शास्त्र के संघटक होंगें, जबकि एम ए पाठ्यक्रम में ऐसे संघटक कम होंगे लेकिन उनके अपने–अपने विषयों से लिए गए मानवाधिकार संघटकों पर बल दिया जाता है। बेहतर हो मानवाधिकार के एलएलएम पाठ्यक्रम और एमए पाठ्यक्रम दोनों के विषय–वस्तु में मानवाधिकार के किसी भी पहलू पर हो कि मानवाधिकार से जुड़ी स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर परियोजना रिपोर्ट शामिल की जानी चाहिए । इन परियोजनाओं के शोध निष्कर्ष राष्ट्रीय और राजकीय मानवाधिकार एजेंसियों तथा मानवाधिकार की समस्याओं पर काम करने वाले संस्थानों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। परियोजना कार्य को मानवाधिकार कार्यक्रम से वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

3.6 इंटीग्रेटेड मास्टर्स कार्यक्रम

कुछ विश्वविद्यालयों ने पंचवर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसमें उनके इस नई पहल के हिस्से के रूप में मानवाधिकार शिक्षा को शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । इससे भावी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की मानवाधिकार के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील बनाया जा सकेगा । संवेदनशील बनाए जाने के इस प्रक्रिया की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा क्योंकि हमारे ऐसे सामाजिक संबंध बन रहे है जो प्रौद्योगिकी आधारित हैं । मानवीय और सामाजिक संवेदनविहीन प्रौद्योगिकीय विकास के दुष्परिणाम साईबर अपराध और प्रौद्योगिकी के दुरूपयोग के रूप में परिलक्षित हो रहे है। अतः इस पहलू पर विचार किए बगैर कि कोई एकीकृत स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में कौन से संकाय पढ़ रहा हैं, मानवाधिकार को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य

मॉड्यूल बना दिया जाना चाहिए । इस नई कोशिश के अहम हिस्से के तौर पर मानवाधिकार में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरूआत करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान किया जाना चाहिए अैर संकाय और अवसंरचना के लिए जरूरी सहायता दी जानी चाहिए ।

3.7 सेमीनार/संगोष्ठी/कार्यशाला

(क) किसी सेमिनार, संगोष्ठी या कार्यशाला से नए विचारों के सृजन, नए ज्ञान का प्रचार–प्रसार, शैक्षिक प्रवचन की कला में युवा विद्वानों का दीक्षाकरण और संवेदनशीलता के रूप में सकारात्मक परिणाम आने चाहिए ।

(ख) कार्यशाला का आयोजन पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री तैयार करने, अंतर्विषयक कार्यक्रमों के क्षेत्रों को सघन करने, उपयुक्त शैक्षिक पद्धति के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण, मानवाधिकार जागरूकता फैलाने और सरकारी अधिकारियों के बारें जानकारी देने और शोध पद्धति से अवगत कराने के लिए किया जाता है। इसमें प्रतिभागियों को समाज के वचित लोगों की गंभीर समस्याओं से भी अवगत कराया जाना चाहिए । कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य नई–नई सामाजिक समस्याओं पर परस्पर विचार–विनिमय के जरिए सीखना होना चाहिए ।

(ग) विशेष रूप से भारत में मानवाधिकार की स्थिति को देखते हुए सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला का विषय मानवाधिकार क्रियाकलापों से संबंधित होना चाहिए। मानवाधिकार सक्रियता और शैक्षणिक लक्ष्य में पारस्परिकवार्ता और अनुभव से होने वाले लाभ शामिल होने चाहिए ।

(घ) जहां तक संभव हो विषय के साथ–साथ दृष्टिकोण को अंतरविषयक होना चाहिए ।

(ड़) भाग लेने वालों में नए अध्यापकों और विद्वानों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें आधारिक अभिविन्यास और अंतर–विषयक परिप्रेक्ष्य की जानकारी दी जाएगी । क्योंकि इसे संसाधन से जुड़े व्यक्तियों, अनुभवी और युवा शिक्षकों तथा संगत विषयों, एन जी ओ और अन्य क्षेत्रों से चुने गए विद्वानों का मिश्रण होना चाहिए ।

(च) इन कार्यक्रमों की उपयोगिता और संगतता क्रमिक रूप से अनुवर्ती कार्रवाई में परिलक्षित होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, समाज को इन सभी कार्यकलापों से संवेदनग्रहण, आपसी सहयोग, सांप्रदायिक सौहार्द, अन्य संस्कृतियों और विशिष्टताओं की स्वीकार्यता के संदर्भ में लाभ होना चाहिए ।

(छ) किसी कॉलेज के लिए संगोष्ठी या परिसंवाद या कार्यशाला का विषय मुख्य रूप से स्थानीय और क्षेत्रीय विषयों तथा समस्याओं पर आधारित होना चाहिए । भाग लेने वालों का चयन भी मुख्य रूप से राज्य या क्षेत्र के अंदर

से किया जाना चाहिए। वे कार्यवाही में मार्गदर्शन देने के लिए एक या दो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते है।

(ज) आयोजकों द्वारा कार्यकलाप के समापन के एक महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी । रिपोर्ट में चर्चा किए गए विषयों, व्यक्त किए गए विचारों, बनाई गई आम सहमति, अन्य उपलब्धियों और परिकल्पित भावी कार्रवाई, यदि कोई हो, तथा प्रस्तुत किए गए पत्रों का ब्यौरा होना चाहिए ।

3.8 काल्पनिक मुकदमों के लिए विधि–सभा/काल्पनिक मुकदमा चलाना

विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग को आस–पास के विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए वार्षिक आधार पर काल्पनिक मुकदमों के लिए विधि सभा/काल्पनिक मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय स्थापित करना चाहिए । इसमें शामिल किए जानेवाले पड़ोस के विश्वविद्यालयों की न्यूनतम संख्या 5 होगी ।

3.9 एचआरई के लिए उत्कृष्टता के नोडल केन्द्रों को बढ़ावा देना

ग्यारहवीं योजना में कम से कम छह केन्द्र होगें जो प्रारंभ में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होंगे । ये केन्द्र सेन्टर्स ऑफ सोशल इन्क्लुशन एंड एक्सक्लुशन की तर्ज पर प्रतिरूपित होंगे । अनुदान और कर्मचारियों की संख्या इन सेन्टर्स ऑफ सोशल इन्क्लुशन एंड एक्सक्लुशन के समान हो सकते हैं । ये केन्द्र, मानवाधिकार शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अलावा क्षेत्र के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कॉलेजों द्वारा चलाए जानेवाले सभी कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे । वे आवधिक रूप से विचारों और अनुभव का आदान–प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में मानवाधिकार शिक्षा के सभी समन्वयकों की बैठक बुला सकते हैं । वे साथ में एच आर ई कार्यकलापों को ककरने के लिए जब कभी भी और जहां कहीं भी संभव हो दो या अधिक केन्द्र रख सकते हैं । सहयोगात्मक कार्य को वरीयता दी जाएगी ।

क्षेत्रीय केन्द्रों के निदेशक या समन्वयक आवधिक रूप से अधिमान्यतः वर्ष में एक बार आपसी अनुभव से लाभ उठाने के लिए मिल सकते हैं । एच आर ई के यूजीसी प्रभारी अधिकारी केन्द्रों के बीच समन्वय स्थापित कर सकते हैं और उन्हें सहयोग दे सकते है तथा यथासमय यूजीसी को फीडबैक दे सकते हैं । यह निरंतर और स्थायी वैचारिक आदान–प्रदान एच आर ई के लिए आवश्यक संस्कृति और वातावरण का निर्माण करने में काफी मददगार होगा ।

3.10 पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना

मानवाधिकार साक्षरता और एच आर ई के उद्देश्यों का प्रसार करने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय समाज के व्यापक अनुभव को देखते हुए इस पर वाद–विवाद, चर्चा की जानी चाहिए और इसकी संकल्पना तैयार की जानी चाहिए। यह विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय विचारों में सहयोग देगा और मानवाधिकार सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में राष्ट्रीय

जागरूकता को अद्यतन करेगा । इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विभागों को जो ऐसे प्रकाशना निकालते हैं पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करते हुए पत्रिकाओं और/या पुस्तकों के प्रकाशनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन संस्थानों को जिनके पास आवधिकता बनाए रखते हुए शैक्षणिक पत्रिकाओं के प्रकाशन और मानवाधिकार संबंधी विषयों से संबंधित अन्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों का काफी लंबा अनुभव है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

4. मानवाधिकार मानकों, सामाजिक चिंताओं और मानव विकास को बढ़ावा देना

मानवाधिकार मानकों, सामाजिक चिंताओं और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाना चाहिएः

(क) अनुसंधान

(ख) शिक्षण

(ग) सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/व्याख्यानों और जागरूकता/संवेदनग्रहण कार्यक्रमों के आयोजन तथा मानव समृद्धि/मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ।

इन कार्यकलापों का आयोजन करने के लिए एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा और अधिकतम सीमा 10.00 लाख रूपये (केवल दस लाख रूपये) होगी । प्रत्येक कार्यकलाप के लिए अनुदान का अनुपात निम्नवत् होगाः

(एक) अनुसंधान – अधिकतम सीमा का 25 प्रतिशत

(दो) शिक्षण – अधिकतम सीमा का 25 प्रतिशत

(तीन) जागरूकता और संवेदनग्रहण कार्यक्रम तथा मानव समृद्धि/सर्वांगीन विकास और चरित्र निर्माण, संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित करने के लिए अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत

4.1 अनुसंधान

इस स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं की प्रकृति सामान्य पीएचडी अभिविन्यस्त शैक्षणिक अनुसंधान से भिन्न होगी । इनका लक्ष्य सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में समसामयिक चिंता के मूल्य संबंधी विषयों को समझना और उन्हें स्पष्ट करना होगा तथा इन मूल्य संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए संभावित उपायों का सुझाव देना होगा । यह अनुसंधान संकल्पनात्मक और अनुभवजन्य अन्वेषणों का मिश्रण हो सकता है । अनुसंधान परियोजनाओं के कुछ संभावित क्षेत्र यह हैंः

एक. व्यक्तिगत और सामूहिक, सार्वभौमवाद और सापेक्षवाद, हिंसा–प्रति हिंसा, अहिंसा, वैश्विक और राष्ट्रीय आतंकवाद की जड़ें, मानव मूल्यों और अधिकार

मानकों तथा लोगों के अभिकथनों के माध्यम से रूपांतरात्मक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों से उपजे तनाव और विषय ।

दो. लोकतांत्रिक राज शासन, सामूहिक जीवन यापन, शांति और समझौते की बातचीत, मानव की प्रसन्नता की संकल्पना और मानदंड से संबंधित मूल्य ।

तीन. व्यवसायिक समूहों जैसे इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, विधि, शिक्षण, लोक सेवा, प्रबंधन और व्यापार के सामाजिक मूल्य ।

चार. सुशासन, प्रशासन, न्यायिक प्रतिक्रियायें, राज्य की बदलती भूमिका और प्रकृति ।

पांच. पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सतत् विकास से संबंधित सामाजिक चिंताएं ।

छह. ज्ञान के प्रसारण की रणनीतियां और औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का रूपांतरण।

सात. मूल्य रूपांतरण के संबंध में फिल्मों और मल्टी–मीडिया की भूमिका तथा चेतना और मानवीय चिंताओं की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए मल्टी–मीडिया की क्षमताएं ।

अनुसंधान में अनिवार्यतः समाज के परिवर्तन, नई मानवीय और सामाजिक चिंताओं, रूपांतरकारी प्रक्रियाओं, नागरिक सामाजिक पहलों, सामाजिक आंदोलनों की बदलती प्रकृति, हाशिए पर रहने वाले वर्गों के चेतना के बढ़ते स्तरों और पूर्ण मानव विकास सुनिश्चित करने की संभावनाओं की झलक दिखनी चाहिए ।

4.2 शिक्षण

इस शीर्ष के अंतर्गत सहयोग समाज से संबंधित विषयों जैसे सामाजिक चिंताओं, व्यवसायिक मूल्यों पर्यावरण संबंधी चिंताओं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संसदीय लोकतंत्र, नागरिक समाज और कानून का शासन तथा अन्य मानव चिंताओं के संबंध में नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत को प्रोत्साहित और आसान बनाने के लिए प्रदान किया जाएगा । इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऐतिहासिक और दार्शनिक आधारों को भी शामिल किया जाएगा । वित्तीय सहायता निम्नलिखित के द्वारा प्रदान की जाएगीः

(एक) उन शिक्षकों को अनुदान देकर जो पुस्तकें लिखने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों को पढ़ा रहें हैं; शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए, अन्य स्थानों पर पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए यात्रा अनुदान, विषय वस्तु से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/व्याख्यानों में भाग लेने के लिए, पुस्तकें लिखने के लिए हस्तलेख तैयार करने आदि के लिए ।

(दो) ऐसे पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों, आमंत्रित प्रोफेसरों को मानदेय का भुगतान करने के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज/विभाग को अनुदान देकर ।

(तीन) शैक्षणिक पद प्रदान करते हुए और जहां कहीं भी वांछनीय हो मानवाधिकार प्राध्यापकत्व की स्थापना के द्वारा ।

4.3 कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहयोग

कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहयोग निम्नवत होगाः

4.3.1 पाठ्यक्रम

	मद	आधारिका पाठ्यक्रम (रूपए)	सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (रूपए)	स्नातक पाठ्यक्रम (रूपए)	पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (रूपए)	पी.जी. पाठ्यक्रम (रूपए)
1.	पुस्तकें और पत्रिकाएं (एकमुश्त अनुदान)	1,00,000/–	1,50,000/–	2,00,000/–	–	–
2.	पुस्तकें और पत्रिकाएं सावधिक पत्रिकाएं, सीडी रोम, श्रव्यदृश्य उपस्कर, कंप्यूटर आदि (एकमुश्त अनुदान)	–	–	–	2,00,000/–	3,00,000/–
3.	वकालत कौशलों का विकास करना (मूट कोर्ट/मॉक ट्राइल जहां कहीं भी अनुमन्य हो) (एकमुश्त अनुदान)	75,00/–	–	–	–	–
4.	अतिथि/आमंत्रित फैकल्टी (पांच वर्षों के लिए)	75,000/–	1,50,000/–	2,00,000/–	3,00,000/–	4,00,000/–
5.	विस्तार कार्यकलाप और फील्ड कार्य (पांच वर्षों के लिए)	–	1,00,000/–	1,50,000/–	2,00,000/–	3,00,000/–

वित्तीय सहायता ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक या वास्तविक आधार पर जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी ।

अनिवार्य फील्ड कार्य और अनुसंधान के बड़े घटक को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

संस्थान को उचित औचित्य के साथ दी गई राशि के अंदर बजट का पुनर्विनियोजन करने की अनुमति दी जाएगी ।

अनुसंधान अनुदान

मुख्य और लघु अनुसंधान परियोजना कार्यक्रम के लिए मानवाधिकार अनुसंधान हेतु विशेष आवंटन किया जाएगा ।

4.3.2 परिसंवाद, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं

संगोष्ठियों, परिसंवादों और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए निधियां निम्नवत होंगीः–

परिसंवाद (1/2 दिन)– 1,50,000/– रूपए विश्वविद्यालय के लिए; 75,000/– रूपए कॉलेज के लिए

संगोष्ठी (2/3 दिन) – 2,00,000/– रूपए विश्वविद्यालय के लिए;1,00,000/– रूपए किसी कॉलेज के लिए

कार्यशाला (7/10 दिन)– 2,50,000/– रूपए विश्वविद्यालय के लिए; 1,50,000/– रूपए किसी कॉलेज के लिए

5. इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रक्रिया

विश्वविद्यालय/कालेज जो यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, वे विनिर्धारित प्रोफार्मा पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं (अनुबंध एक से तीन) ।

6. यूजीसी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रक्रिया

एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन से अवगत कराया जाएगा ।

7. यूजीसी द्वारा अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया

यूजीसी द्वारा अनुमोदित एकमुश्त अनुदान का 80 प्रतिशत और पहले वर्ष के आवर्ती अनुदान का 100 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में जारी किया जाएगा। अनुवर्ती अनुदान विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा किए गए कार्य की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के साथ विनिर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित व्यय और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जारी किए जाएगें । तत्पश्चात्, विश्वविद्यालय/कालेज लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र भेज सकते हैं।

8. निगरानी / मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

विभिन्न क्षेत्रों में नोडल केन्द्र क्षेत्र के अंदर विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए जानेवाले मानवाधिकार कार्यक्रमों से स्वयं को संबद्ध करेगें । केन्द्र के पास कार्यक्रम की रूपरेखा होगी ताकि कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए कालेजों और विश्वविद्यालय के विभागों को सहायता दी जा सके ।

विश्वविद्यालय / कालेज विनिर्धारित आरूप में किए गए कार्य की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजेंगे (अनुबंध चार और पांच) । एक बार जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब यूजीसी जहां कहीं भी आवश्यक होगा प्रगति की समीक्षा करेगी ।

*****

अनुबंध–एक

मानवाधिकार शिक्षा में आधार पाठ्यक्रम की शुरूआत के लिए प्रस्ताव के निवेदन के लिए प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय/कालेज का नाम
   (कॉलेज के मामले में, उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे यह संबद्ध है)

2. पता
   दूरभाष सं..... फैक्स सं.....
   ईमेलः ..... तारः .....

3. क्या विश्वविद्यालय/कालेज यूजीसी अधिनियमकी धारा 2(च) और 12(ख) में शामिल है?

4. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करें और पूर्ण औचित्य दें (कृपया अलग से संक्षिप्त प्रस्ताव संलग्न करें)

5. विभाग का नाम, जो इस पाठ्यक्रम का संचालन करने वाला है।

6. नोडल व्यक्ति का नाम

7. इस कार्यक्रम में संबद्ध किए जानेवाले विभागों की संख्या(क्योंकि यह पाठ्यक्रम अंतर विषयक प्रकृति का है)

8. फैकल्टी की संख्या

9. स्नातक छात्रों की संख्या

10. प्रस्तावित पाठ्यक्रम से जुड़नेवाले संभावित स्नातक छात्रों की संख्या ।

11. पाठ्यक्रम को चलाने के लिए उपलब्ध अवसंचरना

12. उपलब्ध पुस्तकालय/प्रलेखन सुविधाएं

13. प्रस्ताव के समर्थन में कोई अन्य जानकारी ।

विश्वविद्यालय/कालेज के विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर (मोहर सहित)	**कॉलेज के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर (मोहर सहित)**	**विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर (मोहर सहित)**

अनुबंध–दो

मानवाधिकार शिक्षा में सर्टिफिकेट/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए प्रस्ताव के निवेदन के लिए प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय/कालेज का नाम
(कॉलेज के मामले में, उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे यह संबद्ध है)

2. पता
दूरभाष सं..... फैक्स सं.....
ईमेलः ..... तारः .....

3. क्या विश्वविद्यालय/कालेज यूजीसी अधिनियमकी धारा 2(च) और 12(ख) में शामिल है?

4. शुरू किए जानेवाले पाठ्यक्रम का स्तर
   एक. मानवाधिकार शिक्षा में सर्टिफिकेट कोर्स
   दो. मानवाधिकार शिक्षा में स्नातक डिग्री
   तीन. मानवाधिकार शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
   मानवाधिकार शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमए/एलएलएम) पाठ्यक्रम

5. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करें और पूर्ण औचित्य दें (कृपया अलग से संक्षिप्त प्रस्ताव संलग्न करें)

6. विभाग का नाम, जो इस पाठ्यक्रम का संचालन करने वाला है।

7. इस पाठ्यक्रम का समन्वयक बनने वाले नोडल व्यक्ति उसके पदनाम के साथ नाम (कृपया प्रकाशनों की सूची के साथ नोडल व्यक्ति का विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करें):

8. इस कार्यक्रम में संबद्ध किए जानेवाले विभागों की संख्या(क्योंकि इस पाठ्यक्रम की प्रकृति अंतर विषयक है)

9. फैकल्टी की संख्या (संवर्ग वार) जो इस कार्यक्रम से संबंद्ध होगें (कृपया उनके प्रकाशनों की सूची के साथ फैकल्टी का विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करें):

10. संबंद्ध विभागों में विद्यमान छात्रों की संख्याः

11. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए संभावित छात्रों की संख्या ।

12. पाठ्यक्रम को सफल रूप से पूर्ण करने के लिए उपलब्ध अवसंचरनाः

13. उपलब्ध पुस्तकालय/प्रलेखन सुविधाएं

14. इस प्रस्ताव के समर्थन में कोई अन्य जानकारीः

15. अनुसंधान का क्षेत्र जिसे विभाग लेना चाहेगा (यह केवल पीजी डिग्री पाठ्यक्रम में लागू होगा):
(कृपया दिशानिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्ताव संलग्न करें)

16. कृपया बताएं यदि आप वकालत कौशलों को विकसित करने की सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं (मूट कोर्ट/मॉक ट्राइल)।

विश्वविद्यालय/कालेज के विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर (मोहर सहित)	**कॉलेज के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर (मोहर सहित)**	**विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर (मोहर सहित)**

अनुबंध–तीन

मानवाधिकार शिक्षा के स्कीम के अंतर्गत संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला/सम्मेलन/व्याख्यान आयोजित करने जागरूकता और संवेदनग्रहण कार्यक्रम तथा मानव समृद्धि/एकीकृत व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के लिए निवेदन के लिए प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय/कालेज का नामः
(कॉलेज के मामले में, उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे यह संबद्ध है)

2. पता
दूरभाष सं..... फैक्स सं.....
ईमेलः ..... तारः .....

3. क्या विश्वविद्यालय/कालेज यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) में शामिल है?

4. प्रधान अन्वेशक/नोडल व्यक्ति/विभाग/इकाई का नाम और पूरा पता;

दूरभाष सं..... फैक्स सं.....

5. सहयोग कर रहे संस्थान/विभाग, यदि कोई हो

6. शुरू किए जानेवाले प्रस्तावित कार्यकलाप का प्रकार

(क) अनुसंधान
(ख) शिक्षण
(ग) सम्मेलन/संगोष्ठी/जागरूकता/संवेदनग्रहण कार्यक्रम/मानव समृद्धि/एकीकृत व्यक्तित्व विकास/चरित्र निर्माण कार्यशाला का आयोजन

7. कार्यकलाप का ब्यौरा दें:

(प्रत्येक कार्यकलाप के लिए समस्या/संकल्पनात्मक ढांचे के विवरण का विस्तृत ब्यौरा दिया जाना चाहिए । इस ब्यौरों में उद्देश्य, लक्ष्य समूह, शामिल व्यक्तियों की संख्या, विषय पत्र यदि कोई हो, कार्यकलाप के अनुमानित परिणाम और अन्य सभी संगत जानकारी शामिल होनी चाहिए)।

8. प्रत्येक कार्यकलाप के लिए व्यय के विभिन्न प्रकारों के लिए अनुमानित बजट दें ।

क.

ख.

ग.

घ.

कुलः

9. विभागाध्यक्ष / प्रधानाध्यापक / रजिस्ट्रार / सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश ।

विश्वविद्यालय / कालेज के विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर (मोहर सहित)	**कॉलेज के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर (मोहर सहित)**	**विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर (मोहर सहित)**

अनुबंध–चार

मानवाधिकार शिक्षा के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. रिपोर्ट की अवधि ..... से ..... तक

2. विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान का नाम :

3. यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का स्तर :

4. विभाग/संकाय का नाम जिसमें मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम चल रहा हैः

5. यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में संबद्ध विभाग/फैकल्टी का नाम :

6. नोडल व्यक्ति का नाम जो इस पाठ्यक्रम का समन्यवयन/कार्यान्वयन कर रहा है

   पता .....

   दूरभाष सं..... फैक्स सं.....
   ईमेलः ..... तारः .....

7. कार्यक्रम के अनुमोदन की तारीख :

8. कार्यक्रम के पूर्ण होने की तारीख :

9. यूजीसी द्वारा अनुमोदित और उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायताः

अनुमोदित मद (अनुमोदन पत्र के अनुसार)	अनुमोदित अनुदान	अभी तक प्राप्त अनुदान	अभी तक किया गया वास्तविक व्यय	आनेवाले शैक्षणिक/वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6

10. कार्यक्रम में पढ़ाए जानेवाले विषयों की सूची :
    (कृपया विस्तृत पाठ्य विवरण संलग्न करें)

11. यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए कार्यक्रम की शुरूआत से नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या (वर्षवार):

12. परिणामः

(क) परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या : .....

(ख) उत्तीण होने वाले छात्रों की संख्या : .....

13. छात्रों के रोजगार के रिकार्ड/अवसर जिन्होंने पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है (ब्यौरा दें):

14. पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को प्राप्त हुई कोई अध्येतावृत्ति/प्रशिक्षुवृत्ति (पुरस्कार) का ब्यौरा दें :

15. अन्य स्रोतों के माध्यम से विभाग द्वारा सृजित संसाधनः

16. पुस्तकालय में मानवाधिकार शिक्षा में पुस्तकों की संख्याः

17. (एक) एचआरई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों से खरीदी गई पुस्तकों/आवधिक पत्रिकाओं/सीडी रोम/श्रव्यदृश्य उपस्कर/कंप्यूटरों की संख्या :

(दो) पुस्तकालय में आने वाली पत्रिकाओं की संख्या :

18. मानवाधिकार शिक्षा में आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवादों/मूट कोर्टों/मॉक ट्राइलों की संख्या :

19. मानवाधिकार शिक्षा में आयोजित किए गए वाद–विवादों/चर्चाओं/सामान्य व्याख्यानों की संख्या :

20. विभाग द्वारा शुरू किए गए विस्तार कार्य (ब्यौरा दें):

21. मानवाधिकार शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली कोई अतिरिक्त जानकारीः

विश्वविद्यालय/कालेज
के रजिस्ट्रार/प्रधानाध्यापक
के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

नोडल व्यक्ति/
मानवाधिकार शिक्षा
कार्यक्रम के प्रधान
के हस्ताक्षर(मोहर सहित)

अनुबंध–पांच

मानवाधिकार शिक्षा के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. रिपोर्ट की अवधि ..... से ..... तक

2. विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान का नाम :

3. यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का स्तर :

4. विभाग/संकाय का नाम जिसमें मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम चल रहा हैः

5. नोडल व्यक्ति का नाम जो पाठ्यक्रम का समन्यवयन/कार्यान्वयन कर रहा है

   पता .....

   दूरभाष सं..... फैक्स सं.....
   ईमेलः ..... तारः .....

6. कार्यक्रम के अनुमोदन की तारीख :

7. कार्यक्रम के पूर्ण होने की तारीख :

8. शुरू किए गए कार्यकलाप का प्रकार :

9. प्राप्त उद्देश्य :

10. कार्यकलाप के संबंध में विस्तृत रिपोर्टः

11. यूजीसी द्वारा अनुमोदित और उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायताः

अनुमोदित मद (अनुमोदन पत्र के अनुसार)	अनुमोदित अनुदान	अभी तक प्राप्त अनुदान	अभी तक किया गया वास्तविक व्यय	आनेवाले शैक्षणिक/वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6

12. एचआरई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों से खरीदी गई पुस्तकों/आवधिक पत्रिकाओं/सीडी रोम/श्रव्यदृश्य उपस्कर/कंप्यूटरों की संख्या :

विश्वविद्यालय/कालेज
के रजिस्ट्रार/प्रधानाध्यापक
के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

नोडल व्यक्ति/
मानवाधिकार शिक्षा
कार्यक्रम के प्रधान
के हस्ताक्षर(मोहर सहित)